फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/7/25	पत्रावली पेश हुई। आज कन्डोनेशन कार्यवाही अन्य पूर्वानुसार दिनांक 4/8/25 को पेश
	4/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूल दावा पत्रावली के साथ दि० 12/8/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	12/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में मूलदावा डिक्री किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश हुई तारीख को फैसल अप तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)